

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 153-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018 (BHADRA 20, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 सितम्बर, 2018

संख्या 78/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

- 1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।
 - (2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।
- 2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 22 में, उपनियम (4) में,—
 - (i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, निम्नलिखित ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात:-

"परंतु जहां कोई व्यक्ति, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (1) के अधीन तामील किए गए नोटिस का उत्तर देने के बजाए, सभी लंबित विवरणियां देता है और लागू ब्याज और विलंब शुल्क के साथ देय कर का पूरा भुगतान कर देता है, तो समुचित अधिकारी, कार्यवाहियों को समाप्त कर देगा और प्ररूप जीएसटी आरईजी—20 में आदेश पारित करेगा।"।

- 3. उक्त नियमों में, नियम 36 में, उपनियम (2) में,-
 - (i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, निम्नलिखित ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यदि उक्त दस्तावेज में सभी विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट नहीं है, किंतु प्रभारित कर की राशि के ब्यौरे, माल या सेवाओं का विवरण, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय का कुल मूल्य, प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता का माल और सेवा कर पहचान संख्या और अंतर्राज्यिक प्रदाय की दशा में प्रदाय का स्थान अंतर्विष्ट हैं, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग किया जा सकता है।"।

- 4. उक्त नियमों में, नियम 55 में, उपनियम (5) में, "पूर्णतया नाक्ड—डाऊन स्थिति" शब्दों के पश्चात्, "या बैचों अथवा लॉटों" शब्द रखे जाएंगे ।
- 5. उक्त नियमों में, नियम 89 में, उपनियम (4) में, खंड (उ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(उ) "समायोजित कुल आवर्त" से अभिप्राय है, सुसंगत अवधि के दौरान –
 - (क) धारा २ के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित, राज्य में आवर्त, सेवाओं के आवर्त को छोड़कर; और
 - (ख) उपरोक्त खंड (ई) के निबंधनों में अवधारित सेवाओं के शून्य—दर प्रदाय और सेवाओं के गैर—शून्य दर प्रदाय के आवर्त, के मूल्य का कुल योग जिसमें,—
 - (i) शून्य-दर प्रदायों से भिन्न छूट-प्राप्त प्रदायों का मूल्य; और
 - (ii) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिनके संबंध में उपनियम (4अ) या उपनियम (4आ) या दोनों के अधीन प्रतिदाय, यदि कोई हो, का दावा किया गया है, सिम्मिलित नहीं है ।"।
- **6.** उक्त नियमों में, नियम 96 में, उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 23 अक्तूबर, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(10) माल या सेवाओं के निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्तियों को,—
 - (क) ऐसे प्रदाय प्राप्त नहीं करने चाहिए, जिन पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 115 / एसटी—2, दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 या हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 117 / एसटी—2, दिनांक 24 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1321(अ), दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 41/2017—एकीकृत कर (दर), दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 का लाभ का उपयोग किया है; या
 - (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1272(अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 78/2017—सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 या भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 1299(अ), दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 79/2017—सीमाशुल्क, दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 का लाभ का उपयोग नहीं करना चाहिए।"।
- 7. उक्त नियमों में, नियम 138क में, उपनियम (1) में,-
 - (i) परन्तुक में, अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, निम्नलिखित ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
 - (ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह और कि आयातित माल की दशा में, प्रवहण का भारसाधक व्यक्ति, ऐसे माल के आयातकर्ता द्वारा दायर किए गए प्रवेश पत्र की प्रति का भी वहन करेगा और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी—01 के भाग क में प्रवेश पत्र की संख्या और तिथि उपदर्शित करेगा ।"।

8. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–20** के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"जीएसटी आरईजी-20

[देखिये नियम 22(4)]

संदर्भ संख्या –

दिनांक :

सेवा में

नाम

पता

माल और सेवा कर पहचान संख्या/यूआईएन

कारण बताओ सूचना संख्या -

दिनांक:

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण हेतु कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिए आदेश

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस के जवाब में आपके द्वारा एआरएन दिनांक द्वारा दायर किए गए उत्तर के संदर्भ में। आपके उत्तर और सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों पर विचार करने पर, रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां निम्नलिखित कारणों से रद्द की जाती हैं:

<< पाठ >>

या

ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओं नोटिस हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए जारी किया गया था। चूंकि आपने पूर्वोक्त नोटिस के जारी करने की तिथि को बकाया सभी लंबित विवरणियां दायर कर दी हैं, और लागू ब्याज और विलंब फीस के साथ कर का पूर्ण भुगतान कर दिया है, अत: रिजस्ट्रीकरण को रद्द करने के लिए आरंभ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर < अधिकारी का नाम > पदनाम अधिकारिता

स्थान :

तिथि: "।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आईटीसी—04 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"जीएसटी आईटीसी-04

[देखिये नियम 45(3)]

छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और उससे वापस प्राप्त माल/पूंजी माल के ब्यौरे

- 1. माल और सेवा कर पहचान संख्या –
- 2. (क) विधिक नाम -
 - (ख) व्यापार का नाम, यदि कोई है -
- 3. अवधि :

तिमाही –

वर्ष —

4. छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे (जिसमें छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के कारबार के स्थान/परिसर पर सीधे भेजे गए इनपुट/पूंजी माल भी शामिल हैं):

म न									कर की द	र प्रतिशत	Ŧ
माल और सेवा कर पहचान संख्या/अरजिस्ट्रीकृत छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार की दशा में राज्य	चालान संख्या	चालान तिथि	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	कराधेय मूल्य	माल का प्रकार (इनपुट/पूंजी माल)	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 5. छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त या छुटपुट कार्य के कारबार के स्थान से बाहर भेजे गए इनपुटों/पूंजी माल के ब्यौरे :
 - (क) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से, जिसे ऐसा माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था, वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

ं संख्या/ कर्मकार, ज्य	र द्वारा अधीन	कार द्वारा जिसके हुआ है				अधीन II गया	अधीन II गया	र द्वारा ते	नुकसान अपरि	न और शष्ट
माल और सेवा कर पहचान संख्या/ छुटपुट कार्य करने वाले कर्नकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्या, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छुटपुट कार्य करने वाले कर्नकार द्वारा जारी चालान की तिथि, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तिथि	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्यांक, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तिथि, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार किए गए छुटपुट कार्य की प्रकृति	युक्यूसी	मात्रा
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10

(ख) छुटपुट कार्य करने वाले ऐसे कर्मकार से, जिसे मूल रूप से ऐसा माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था, भिन्न छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार से वापस प्राप्त इनपुटों/पूंजी माल ; और नुकसानों और अपिषष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्या/ छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत है, का राज्य	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान संख्या, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा जारी चालान की तिथि, जिसके अधीन माल वापस प्राप्त हुआ है चालान तिथि	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्या, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तिथि, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छुटपुट कार्य की प्रकृ ति	नुकसान अपरि अपरि	माञ
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10

(ग) छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को भेजे गए और तत्पश्चात् छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार के परिसर से प्रदाय किए गए इनपुटों/पूंजी माल; और नुकसानों और अपशिष्टों के ब्यौरे :

माल और सेवा कर पहचान संख्या/ छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार, यदि अरजिस्ट्रीकृत हैं, का राज्य	प्रमुख द्वारा जारी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक संख्या	प्रमुख द्वारा जारी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा प्रदाय की दशा में बीजक तिथि	माल का विवरण	यूक्यूसी	मात्रा	मूल चालान संख्या, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	मूल चालान की तिथि, जिसके अधीन माल छुटपुट कार्य के लिए भेजा गया था	छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा किए गए छुटपुट कार्य की प्रकृति	नुकसान औ विक्रसी	र अपशिष्ट
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10

अनुदेश:

- एकल चालान के लिए मदों की बहु प्रविष्टियां भरी जाएं ।
- 2. उन मामलों में, जिनमें छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा नए चालान जारी करना अपेक्षित है, सारणी (क) और सारणी (ख) के खाना 2 और खाना 3 आज्ञापक है ।
- 3. जहां छुटपुट कार्य के लिए भेजे गए माल और छुटपुट कार्य के बाद प्राप्त माल के बीच आपस में पत्राचार संभव नहीं है, वहां सारणी (क), सारणी (ख) और सारणी (ग) के खाना 7 और खाना 8 नहीं भरे जाएं ।

6. सत्यापन

मैं, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थ	ान	:

तिथि

	हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ना	म
-	पदनाम/हैसियत

10. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटी आर-8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररुप रखा जाएगा, अर्थात् :-

		"								
			प जी एस टी अ							
			(देखिये नियम 80							
	वार्षिक विवरणी									
भाग I			मूल ब्यौ	रि						
1	वित्तीय वर्ष									
2	जी एस टी आई एन									
3क	विधिक नाम									
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)									
भाग II	वि	त्तीय वर्ष के दौर	रान घोषित जावव	म और आवक प्रदा	यों के ब्यौरे					
				(सभी सारणि	ायों में राशि रुपये	ा में)				
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर				
	1	2	3	4	5	6				
4	अग्रिम, आवक और जावक	प्रदाय के ब्यौरे रि			र की गई विवरणी	में यथाघोषित कर				
			जो भुगतान	योग्य है						

क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)			
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)			
ग	कर भुगतान पर शून्य दर प्रदाय (निर्यात) (विशेष आर्थिक जोनों हेतु प्रदाय छोड़कर)			
घ	कर भुगतान पर विशेष आर्थिक जोन हेतु प्रदाय			
ड़	समझा गया निर्यात			
ਬ	अग्रिम जिस पर कर का भुगतान किया गया हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन समावेशित नहीं है			
ਲ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है			
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)			
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी जमापत्र (–)			
স	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)			
ਟ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर			

ਰ	संशोधनों (–) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/कर			
ड	(उपर्युक्त् झ से ठ) का आंशिक योग			
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर कर भुगतान किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)			

5 ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई विवरणियों में यथाघोषित कर भुगतान योग्य नहीं है

क	कर भुगतान के बिना शून्य दर प्रदाय (निर्यात)			
ख	कर भुगतान के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय			
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाना है			
घ	छूट–प्राप्त			
ड़	शून्य दर			
च	गैर – जी एस टी प्रदाय			
ਬ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)			
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी जमापत्र (–)			
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)			
স	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय			
ਟ	संशोधनों (–) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय			
ਰ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)			
ड	आवर्तन जिस पर कर का भुगतान नहीं किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)			
ਫ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड –4छ)			

भाग III वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई विवरणियों में यथा घोषित आई टी सी के ब्यौरे

विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

6 वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई विवरणियों में यथा घोषित उपयोग किए गए आई टीसी के ब्यौरे

क	प्ररुप जी एस टी आर—3ख उपभोग की गई इनपुट व कुल राशि (प्ररुप जी एस के सारणी 4क की कुल धन	न्र प्रत्यय की टी आर – 3ख	<आटो>	<आटो>	<आटो>	<आटो>
ख	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश पूंजी माल निवेश सेवाएं				
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर का भुगतान किया गया है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश पूंजी माल निवेश सेवाएं				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर का भुगतान किया गया है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश पूंजी माल निवेश सेवाएं				
ड़	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश पूंजी माल				
च	सेवाओं का आयात (विशेष से आवक प्रदाय छोड़कर)	आर्थिक जोनों				
ਚ	आई एस डी से प्राप्त इनपुट	. कर प्रत्यय				
ज	अधिनियम के उपबंधों के अ आई टी सी की राशि (भिन्न)	धीन पननिर्मित				
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से	ज)				
স	अंतर (उपर्युक्त झ–क)					
ਟ	टी आर ए एन— I के माध्य प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, यवि					
ਰ	टी आर ए एन— II के माध्य प्रत्यय					
ड	उपभोग की गई किन्तु उ नहीं की गई कोई अन्य आइ					
ਫ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से					
ण	उपभोग की गई कुल (उपर्युक्त झ + ढ)	आई टी सी				

7 वित्तींय वर्ष के दौरान दायर विवरणियों में घोषित रुप में प्रतिवर्ती आई टी सी और अपात्र आई टी सी के ब्यौरे

क	नियम 37 के अनुसार		
ख	नियम ३९ के अनुसार		
ग	नियम ४२ के अनुसार		
घ	नियम ४३ के अनुसार		
ड़	धारा 17 (5) के अनुसार		
च	टीआर ए एन — I प्रत्यय का उलटाव		
ਚ	टीआर ए एन — II प्रत्यय का उलटाव		
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
झ	कुल प्रतिवर्तित आई सी टी (उपर्युक्त क से ज)		
স	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी		
	(6ण—7퇘)		

8. सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी

	जी एस टी आर –2क के अनुसार आई टी सी	<आटो>	<211-1	<211-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	<2TT
क	_	<31CI>	<आटो>	<आटो>	<आटो>
	(जिसकी सारणी 3 तथा 5 है)				
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल राशि के	<आटो>			
	अनुसार आई टी सी				
	वर्ष 2017—18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय				
	पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायी				
ग	आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न किन्तु				
	विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं सहित)				
	किन्तु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
	• •				
घ	अंतर (क— ख +ग)				
ड़	उपलब्ध आई टी सी किन्तु उपभोग न की गई				
Ÿ	(घ में से)				
च	उपलब्ध आई टी सी किन्तु अपात्र (घ में से)				
	मालों के आयात पर भुगतान किया गया आई				
ਬ	जीएसटी (विशेष आर्थिक जोन से प्रदाय				
	सहित)				
	मालों के आयात पर भुगतान किया गया आई				
ज	जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त ६(ड.) के अनुसार)				
	जार्सटा प्रत्यय (७४५ता ७(७.) ये जनुसार)	<आटो>			
झ	अंतर (छ–ज)				
ন	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी				
ਤ	किन्तु उपयोग न की गई (झ के समान)				
_	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने वाला कुल	<आटो>	<आटो>	<आटो>	<आटो>
ਟ	आई टी सी (ड.+च + ञ)				
ь			1	1	

भाग IV.	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर विवरणियों में घोषित रुप में भुगतान किए गए कर के ब्यौरे
	आई टी सी के माध्यम से भुगतान किया गया

9	विवरण	भुगतान योग्य कर	नकदी के माध्यम से भुगतान	केंन्द्रीय कर	राज्यकर / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

भाग V. चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वितीय वर्ष के या पूर्व वितीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के दायर किए जाने की तारीख तक, जो भी पूर्वत्तर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां

	विवरण	भुगतान योग्य मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्यकर / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यंम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (–) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध जमा पत्र)					
12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वितीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण भुगतान किए गए अंतरीय कर								
	विवरण	भुगतान योग्य	भुगतान						
	1	2	3						
	एकीकृत कर								
	केन्द्रीय कर								
	राज्यकर / संघ राज्य क्षेत्र कर								
	उपकर								
	ब्याज								

भाग VI. 15

अन्य जानकारी मांग और प्रतिदाय का विवरण

	ब्यौरा	केन्द्रीय कर	राज्यकर / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							
घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ङ	कुल करों की मांग							
ਬ	उपर्युक्त ड. के संबंध में भुगतान किया गया कुल कर							
ਝ	उपर्युक्त ड. में से लंबित कुल मांग							

16 धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रर्तियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल

	ब्यौरा	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्यकर / संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया					

17	जावक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश
17	जापक प्रदाया का रुक्ट्सर्ग वार सारारा

एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल मात्रा	कराधेय मूल्य	कर की दर	केन्द्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18	आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश
----	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल मात्रा	कराधेय मूल्य	कर की दर	केन्द्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	भुगतानयोग्य तथा भुगतान की गई विलंब फीस						
	विवरण	भुगतानयोग्य	भुगतान की गई				
	1						
क	केन्द्रीय कर						
ख	राज्यकर						

सत्यापन:

मैं, इसके द्वारा, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

	हस्ताक्षर
स्थान :	प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम
दिनांक :	

पदनाम/हैसियत

अनुदेश:-

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कोड

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कोड की सुमेलित पद्धति

- 2. इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं।
- 3. भाग II में वित्त वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी दायर की गई है। भाग II में दायर किए गए ब्यौरे वित्त वर्ष के दौरान करदाता द्वारा फाइल की गई विवरणियों में घोषित सभी प्रदायों का समेकन है। भाग II को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है :

सारणी संख्या	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर का भुगतान किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी। इनमें ई—वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सिम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमश: संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी—7 का उपयोग किया जा सकता है।

	RYANA GOV1. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 11, 2018 (BHDR. 20, 1940 SAKA) 290/
सारणी संख्या	अनुदेश
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसमें यूआईएन को किए गए प्रदाय भी शामिल हैं) जिस पर कर का भुगतान किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी। इनमें ई—वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का भुगतान किया जाना है। नामे नोट और जमा पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकता है।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर का भुगतान किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकता है ।
4ঘ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर का भुगतान किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकता है।
4ड़.	विशेष आर्थिक जोनों को किए गए प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर का भुगतान किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकता है।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर का भुगतान किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकता है।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसमें अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट हैं) जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात् वार्षिक विवरणी दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा) कर का भुगतान रिर्वस प्रभार आधार पर किया जाना है। इसमें रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय शामिल हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदगृहित किया गया है। इसमें सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकता है।
4닭.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी जमा पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकता है ।
4퍼.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकता है ।
4ट और 4ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ञ) तथा प्रतिदाय बाउचरों की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकता है ।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर भुगतान नहीं किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकता है ।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर भुगतान नहीं किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर भुगतानयोग्य है । नामे नोट और जमा पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकता है।

सारणी संख्या	अनुदेश
5घ, 5ड़ और 5च.	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकता है ।
5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी जमा पत्रों के समग्र मूल्य की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकता है।
5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की घोषणा यहां की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकता है।
5ञ और 5ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायं, जिन पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकता है।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसमें सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सिहत) का योग सिम्मिलित है, जिस पर कर का भुगतान है और कर भुगतानयोग्य नहीं है, की घोषणा यहां की जाएगी । जिसमें अग्रिम की राशि भी सिम्मिलित होगी, जिस पर कर भुगतान किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सिम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण दायर करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर का भुगतान किया जाता है ।

4. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में रिवर्स किए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी दायर की जाती है । भाग III को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

	,
सारणी संख्या	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4क में उपयोग किए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को स्वत: यहां दिया जाएगा।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर कर रिर्वस प्रभार आधार पर भुगतानयोग्य है, किंतु इसमें विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय भी शामिल है, की घोषणा यहां की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि उपयोग किए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकता है।
	जिसमें ऐसा इनपुट कर प्रत्यय सम्मिलित नहीं होगा जिसका उपभोग, रिर्वस किया गया था और तत्पश्चात् इनपुट कर प्रत्यय लेजर में उसका पुन: दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में पृथक रूप से की जानी चाहिए।
6ग.	अरिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर रिवर्स प्रभार आधार पर भुगतानयोग्य है, की घोषणा यहां की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि उपयोग किए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्योरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकता है ।
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर रिवर्स प्रभार आधार पर भुगतानयोग्य है, की घोषणा यहां की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकता है।
6ड़.	मालों के आयात पर उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की घोषणा यहां की जाएगी । यह नोट किया जा सकता है कि उपयोग किए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकता है ।

सारणी संख्या	अनुदेश
6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को छोड़ते हुए) पर उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकता है ।
6평.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की घोषणा यहां की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा सकता है।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, रिवर्स किए गए और पुन: दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की घोषणा यहां की जाएगी।
6퍼.	प्ररूप जीएसटीआर—3ख के माध्यम से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल राशि और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की घोषणा यहां की जाएगी। आदर्श रूप में यह राशि शून्य होनी चाहिए।
6로.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन—1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन—1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को दायर करने पर इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की घोषणा यहां की जाएगी।
6ਰ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन—2 को दायर करने के पश्चात् इलैक्ट्रानिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की घोषणा यहां की जाएगी।
6ड	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, यहां घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी–01 और प्ररूप–आईटीसी–02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहा घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज	हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 37, 39, 42 और 43 के अधीन अपेक्षित पात्रता नहीं होने या रिवर्सल के कारण रिवर्स किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की घोषणा यहां की जाएगी । इस खाना में हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन रिवर्स किए गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएएन—1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएएन—2 के अधीन दावा किए गए अपात्र अंतरण प्रत्यय और जिसे पश्चातवर्ती रूप से रिवर्स किया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकता है। प्ररूप आईटीसी—03 के माध्यम से रिवर्स किए गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषणा की जाएगी।
8क.	वर्ष 2017—18 के दौरान और प्ररूप जीएसटीआर—2ख (केवल सारणी 2 तथा 5) में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (रिवर्स प्रभार के लिए दायी आयात और आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वत: दर्शाया जाएगा। यह सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदायकर्ता द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर—1 में घोषणा की गई है ।
8ख.	सारणी 6ख तथा 6ज में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वत: दिखाया जाएगा ।
8ग.	जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान प्राप्त किन्तु जिन पर प्रत्यय अप्रैल से सितम्बर के बीच उपभोग किया गया था, सभी आवक प्रदायों पर उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उनके, जिन पर रिवर्स प्रभार आधार पर कर भुगतानयोग्य है, किंतु इसमें विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय भी शमिल है, की घोषणा यहां की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकता है ।
8ङ और 8च.	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर—2क (केवल सारणी—3 और सारणी—5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटीआर—3ख विवरणी में उपभोग नहीं किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी । उस प्रत्यय को प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो उपलब्ध था और जिसका उपयोग नहीं किया गया था या प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि वह पात्र नहीं था । दोनों पंक्तियों का कुल योग की धनराशि 8घ में के अंतर के बराबर होना चाहिए।
8ਓ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय भुगतान किए गए आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने से आयात भी हैं) के समग्र मूल्य की घोषणा यहां की जाएगी।

सारणी संख्या	अनुदेश
8ज.	सारणी ६ङ में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वत: दर्शित किया जाएगा ।
8ट.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी ।

- 5. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक कर है । प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के भुगतान का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकता है ।
- 6. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की विवरणी में या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी दायर करने की तिथि (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017—2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017—2018 के लिए अप्रैल से सितंबर, 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), जो भी पहले हो, की घोषणा की गई है । भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी संख्या	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी प्रदाय में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दायर करने की तिथि को, जो भी पहले हों, प्रस्तुत नहीं किए गए थे, यहां घोषित किए जाएंगे ।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के रिवर्सल का समग्र मूल्य, जिसका पूर्व वित्त वर्ष के दौरान उपभोग किया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए दायर विवरणी में या पहले पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दायर करने की तिथि, जो भी पहले हो, रिवर्स कर दिया गया था, को यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकता है ।
13.	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्योरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी के चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दायर करने की तिथि, जो भी पहले हो, को किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे। प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को दायर किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

7. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे भी शामिल हैं। भाग VI को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार है:

सारणी संख्या	अनुदेश
15क,15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की घोषणा यहां की जाएगी । दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में दायर किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वे प्रतिदाय भी हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से अभिप्राय है सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य। लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र राशि होगी और इसके अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं हैं। इसके अंतर्गत गैर—जीएसटी प्रतिदाय दावो के ब्यौरे नहीं है।
15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों का कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर भुगतान किए गए करों का समग्र मूल्य, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है, की घोषणा यहां की जाएगी । उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप जीएसटीआर—3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकता है ।
16ख	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अनुसार स्वामी से छुटपुट कामगारों को किए गए सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

सारणी संख्या	अनुदेश
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए। यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है। यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है। माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं। मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है। सारणी—17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकता है।
19	विलंब फीस भुगतानयोग्य होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् दायर की जाती है ।

प्ररूप जीएसटीआर—9क (देखिए नियम 80)								
वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)								
भाग. I आधारिक ब्यौरे								
1	वित्तीय वर्ष							
2	जीएसटीआईएन							
<u></u> 3क	विधिक नाम	<स्व>						
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>						
4	वर्ष (सेतक) के दौरान	। संरचना स्कीम क	गे अवधि					
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आव	 ਰੀ						
	5			I	(सभी	सारणियों में	रूपए में राशि)	
भाग. II	वित्तीय वर्ष के दौरा	न दायर की गई	विवरणियों मे	घोषित प	जावक और आ	वर्त प्रदायों के	^र ब्यौरे	
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	7	
6	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे भुगतानयोग्य है	जिस पर, विर्त्त	ोय वर्ष के	दौरान दा	यर की गई	विवरणियों में	यथाघोषित कर	
क	कराधेय							
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर							
ग	कुल							
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, प्रभार आधार (नामे नोट/जमा प				ायर की गई	विवरणियों में	घोषित प्रतिलोम	
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर		राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
	1	2	3		4	5	6	
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय							
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय							
ग	सेवाओं का आयात							
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर भुगतानयोग्य शुद्ध कर							

8	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई विवरणियों	में मनासीकि	न शजा श	क्त पराभें के	हे त्योंने	
8	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से	न यथावाष	त अन्य अ	ापक प्रदाया क	? ब्यार 	
क	प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त					
	7क से भिन्न)					
ख	माल का आयात					
भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की ग	ाई विवरणियों	ां में यथा	घोषित भुगतान	ा किए गए व	_{कर के} ब्यौरे
9	वर्णन	कुल भुगतानयोग्य कर		भुगतान वि	किए गए	
	1	2		3	}	
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	विलंब					
	शास्ति					
भाग. IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की य तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, विवरणि	। पूर्व वित्तीय ।यो में घोषित	वर्ष की पूर्व विर्त्त	वार्षिक विवरण् ोय वर्ष के लिए	णी के फाईल ए संव्यवहारों	न किए जाने की की विशिष्टियां
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर					
	(जावक) (+) (नामे नोटों का योग)					
11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों					
	का योग) संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए					
12	प्रदाय/कर (जावक) (–) (जमा पत्रों का योग)					
13	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (–) (जमा पत्रों का योग)					
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में व	_{गई} घोषण	गा के मद्दे	भुगतान किए	गए अंतरीय	कर
	वर्णन		भुगतानयोग्य		भुगतान किए गए	
	1		2		3	
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					
1						

भाग. V				कारी				
15			मांग औ	की विशिषि	^{ड्} टयां			
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस / अन्य	
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							
घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ड.	करों की कुल मांग							
च	उपरोक्त ड. के संबंध में भुगतान किए गए कुल कर							
ਚ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							
16			उलटा गर	ग्रा या उपभु त्त	प्रत्यय व	के ब्यौरे		
	वर्णन					राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
		1			2	3	4	5
क	संरचना स्कीम में							
ख	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रत्यय (+)							
17			भुगतान योग्य	और भुगतान			T	
		वर्ण	न		भुग	तानयोग्य	भुगता	न की गई
		1				2		3
क		केंद्रीय						
ख		राज्य	कर					

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

स्थान	•	
		हस्ताक्षर
	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का न	नाम
तिथि	:	पदनाम/हैसियत

अनुदेश:-

- 1. जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 2. भाग I में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग I को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी संख्या	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी दायर की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017—18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016—17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है।

3. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी दायर की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी संख्या	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकता है।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।
7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर भुगतानयोग्य है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकता है ।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर भुगतानयोग्य है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकता है ।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकता है ।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता द्वारा भुगतानयोग्य है, यहां घोषित किया जाएगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर—4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकता है ।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा ।

4. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण दायर करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017–2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी संख्या	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्ही प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दायर करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, के प्ररूप जीएसटीआर—4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी—7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे ।

भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

	य जा किस के स्वार है। में ठ की निर्मा के रिन्ति अनुवर्ग में मनुसार है :
सारणी संख्या	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में दायर किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से अभिप्राय है सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य। लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल राशि होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा। इनमें गैर—माल और सेवा कर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे।

15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से भुगतान किए गए करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16क	जब कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी—03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकता है ।
16ख	जब कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा । प्ररूप आईटीसी—01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकता है ।
17	विलंब शुल्क भुगतानयोग्य होगा, यदि वार्षिक विवरणी देय तारीख के पश्चात् दायर की जाती है।

11. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटी के ईडब्ल्यूबी—01 के टिप्पणों में क्रम संख्या 4 में, सारणी में, प्रथम खाने में कोड—4 के सामने, दूसरे खाने में "एस.के.डी." या "सी.के.डी." अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "एस.के.डी. या सी.के.डी. या बैचों या लॉटों में प्रदाय " अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 11th September, 2018

No. 78/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Tenth Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, (hereinafter called the said rules), in rule 22, in sub-rule (4),-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where the person instead of replying to the notice served under sub-rule (1) for contravention of the provisions contained in clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 29, furnishes all the pending returns and makes full payment of the tax dues along with applicable interest and late fee, the proper officer shall drop the proceedings and pass an order in **FORM GST-REG 20**."

- 3. In the said rules, in rule 36, in sub-rule (2),-
 - (i) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person."

4. In the said rules, in rule 55, in sub-rule (5), after the words "completely knocked down condition", the words "or in batches or lots" shall be inserted.

- 5. In the said rules, in rule 89, in sub-rule (4), for clause (E), the following clause shall be substituted, namely:(E) "Adjusted Total Turnover" means the sum total of the value of-
 - (a) the turnover in the State, as defined under clause (112) of section 2, excluding the turnover of services; and
 - (b) the turnover of zero-rated supply of services determined in terms of clause (D) above and non-zero rated supply of services, excluding-
 - (i) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies; and
 - (ii) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rule (4A) or sub-rule (4B) or both, if any, during the relevant period.'.
- **6.** In the said rules, in rule 96, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 23rd October, 2017, namely:-
 - "(10) The persons claiming refund of integrated tax paid on exports of goods or services should not have -
 - (a) received supplies on which the benefit of the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 115/ST-2, dated the 18th October, 2017 or Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 117/ST-2, dated the 24th October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 23rd October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R 1321 (E), dated the 23rd October, 2017 has been availed; or
 - (b) availed the benefit under notification No. 78/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1272(E), dated the 13th October, 2017 or notification No. 79/2017-Customs, dated the 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R 1299 (E), dated the 13th October, 2017."
- 7. In the said rules, in rule 138A, in sub-rule (1),-
 - (i) in the proviso for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
 - (ii) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that in case of imported goods, the person in charge of a conveyance shall also carry a copy of the bill of entry filed by the importer of such goods and shall indicate the number and date of the bill of entry in **Part A** of **FORM GST EWB-01**."

8. In the said rules, for FORM GST REG-20 , the following FORM shall be substituted	i, namely:	:-
--	------------	----

TOKM GOT KEG-20	"FORM	GST	REG-	-20
-----------------	-------	------------	------	-----

[see rule	22(4)]
Reference No	Date -
To	
Name	
Address	
GSTIN/UIN	
Show Cause Notice No.	Date-
Order for dropping the proceeding	s for cancellation of registration
This has reference to your reply filed vide ARN da above. Upon consideration of your reply and/or submissi cancellation of registration stands vacated for the following r	ons made during hearing, the proceedings initiated for
< <text< td=""><td>>></td></text<>	>>
or	
The above referred show cause notice was issued for contraub-section (2) of section 29 of the Haryana Goods Services which were due on the date of issue of the aforesaid notice, interest and late fee, the proceedings initiated for cancellation	Tax Act, 2017. As you have filed all the pending returns and have made full payment of tax along with applicable
	Signature < Name of the Officer> Designation Jurisdiction
Place: Date:	".

9. In the said rules, for FORM GST ITC-04, the following FORM shall be substituted, namely:-

"FORM GST ITC-04

[see rule 45(3)]

Details of goods/capital goods sent to job worker and received back

- 1. GSTIN -
- 2. (a) Legal name -
 - (b) Trade name, if any –
- 3. Period: Quarter Year -
- 4. Details of inputs/capital goods sent for jobwork (includes inputs/capital goods directly sent to place of business /premises of job worker)

GSTIN/ State in	Challan No.		Description of goods	UQC	Quantity		Type of goods (Inputs/capital		Rate of	tax (%)	
case of unregistered jobworker			01 80040				goods)		State/ UT tax	Integrated tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 5. Details of inputs/capital goods received back from job worker or sent out from business place of job work
 - (A) Details of inputs/ capital goods received back from job worker to whom such goods were sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN /	Challan	Date of	Description	UQC	Quantity	Original	Original	Nature	Losses	& wastes
State of job	No.	challan	of goods			challan	challan	of job		
worker if	issued	issued				No.	date	work		
unregistered	by job	by job				under	under	done		
	worker	worker				which	which	by job	UQC	Quantity
	under	under				goods	goods	worker	0 4 0	Quantity
	which	which				have	have			
	goods	goods				been	been			
	have	have				sent for	sent for			
	been	been				job	job			
	received	received				work	work			
	back	back								
1	2*	3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(B) Details of inputs / capital goods received back from job worker other than the job worker to whom such goods were originally sent for job work; and losses and wastes:

GSTIN / State of job	Challan No.	Date of challan	Description of goods	UQC	Quantity	Original challan	Original challan	Nature of job	Losses	& wastes
worker if	issued	issued	or goods			No.	date	work		
unregistered	by job	by job				under	under	done		
	worker under which goods have been received	worker under which goods have been received				which goods have been sent for job work	which goods have been sent for job work	by job worker	UQC	Quantity
1	back 2*	back 3*	4	5	6	7*	8*	9	10	11

(C) Details of inputs/ Capital goods sent to job worker and subsequently supplied from premises of job worker; and losses and wastes:

GSTIN /	Invoice	Invoice	Description	UQC	Quantity	Original	Original	Nature	Losses	& wastes
State of job	No. in	date in	of goods			challan	challan	of job		
worker if	case	case				no.	date	work		
unregistered	supplied	supplied				under	under	done		
	from	from				which	which	by job		
	premises	premises				goods	goods	worker	UQC	Quantity
	of job	of job				have	have			
	worker	worker				been	been			
	issued	issued				sent for	sent for			
	by the	by the				job	job			
	Principal	Principal				work	work			
1	2	3	4	5	6	7*	8*	9	10	11

Instructions:

- 1. Multiple entry of items for single challan may be filled.
- 2. Columns (2) and (3) in Table (A) and Table (B) are mandatory in cases where fresh challan are required to be issued by the job worker. Otherwise, columns (2) and (3) in Table (A) and Table (B) are optional.
- 3. Columns (7) and (8) in Table (A), Table (B) and Table (C) may not be filled where one-to-one correspondence between goods sent for job work and goods received back after job work is not possible.

6. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

	Signature	
Place	Name of Authorised Signatory	
Date	Designation /Status	".

10. In the said rules, after FORM GSTR-8, the following FORMS shall be inserted, namely:-

			"FORM GSTR-9 (See rule 80) Annual Return					
Pt. I	Basic Details							
1	Financial Year							
2	GSTIN							
3A	Legal Name							
3B	Trade Name (if any)							
Pt. II	Details	of Outward an	d inward supplies de	clared duri	ng the fina	ncial year		
					(Amount i	n ₹ in all table	es)	
	Nature of Sup	plies	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1		2	3	4	5	6	
4	Details of advances, in filed during the financ		ward supplies on wl	hich tax is j	payable as	declared in 1	eturns	
A	Supplies made to un-reg persons (B2C)							
В	Supplies made to registe (B2B)							
C	Zero rated supply (Export) on payment of tax (except supplies to SEZs)							
D	Supply to SEZs on payr							
Е	Deemed Exports							
F	Advances on which tax paid but invoice has not (not covered under (A)	been issued						
G	Inward supplies on which paid on reverse charge l							
Н	Sub-total (A to G above	e)						
I	Credit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (-)							
J	Debit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (+)							
K	Supplies / tax declared through Amendments (+)							
L	Supplies / tax reduced to Amendments (-)							
M	Sub-total (I to L above)							
N	Supplies and advances of is to be paid (H + M) at							

5	Details of Outward supplies on whic	h tax is not payable				ng the
A	Zero rated supply (Export) without payment of tax					
В	Supply to SEZs without payment of tax					
С	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis					
D	Exempted					
Е	Nil Rated					
F	Non-GST supply					
G	Sub-total (A to F above)					
Н	Credit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (-)					
I	Debit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (+)					
J	Supplies declared through Amendments (+)					
K	Supplies reduced through Amendments (-)					
L	Sub-Total (H to K above)					
M	Turnover on which tax is not to be paid (G + L above)					
N	Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)					
Pt. III	Details of ITC as of	declared in returns fil	ed during t	he financia	ıl year	
	Description	Туре	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
6	Details of ITC availed a	s declared in returi	ıs filed du	ring the fir	nancial year	•
A	Total amount of input tax credit avail GSTR-3B (sum total of Table 4A of		<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
В	Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)	Inputs Capital Goods Input Services				
С	Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above)on which tax is paid & ITC availed	Inputs Capital Goods Input Services				
D	Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on	Inputs Capital Goods Input Services				
	which tax is paid and ITC availed	input services				

	I					
Е	Import of goods (including supplies from SEZs)	Inputs				
	,	Capital Goods				
F	Import of services (excluding inward supplies from SEZs)					
G	Input Tax credit received from ISD					
Н	Amount of ITC reclaimed (other than provisions of the Act	B above) under the				
I	Sub-total (B to H above)					
J	Difference (I - A above)					
K	Transition Credit through TRAN-I (in any)	cluding revisions if				
L	Transition Credit through TRAN-II					
M	Any other ITC availed but not specifie	ed above				
N	Sub-total (K to M above)					
О	Total ITC availed (I+ N above)					
7	Details of ITC Reversed and Ineligi	ible ITC as declared	in returns	filed duri	ng the financ	rial year
A	As per Rule 37					
В	As per Rule 39					
С	As per Rule 42					
D	As per Rule 43					
Е	As per section 17(5)					
F	Reversal of TRAN-I credit					
G	Reversal of TRAN-II credit					
Н	Other reversals (pl. specify)					
I	Total ITC Reversed (A to H above)					
J	Net ITC Available for Utilization (60	- 7I)				
8		Other ITC related in	formation	<u> </u>		
A	ITC as per GSTR-2A(Table 3 & 5 the		<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
В	ITC as per sum total of 6(B) and 6(H)		<auto></auto>			
С	ITC on inward supplies (other than im supplies liable to reverse charge but in received from SEZs) received during 2 during April to September, 2018	ports and inward acludes services				
D	Difference [A-(B+C)]					
Е	ITC available but not availed (out of I	D)				
F	ITC available but ineligible (out of D)	1				
G	IGST paid on import of goods (includ SEZ)	ing supplies from				
Н	IGST credit availed on import of goods (as per 6(E) above)					
I	Difference (G-H)					
J	ITC available but not availed on impo to I)	rt of goods (Equal				
K	Total ITC to be lapsed in current finar (E + F + J)	ncial year	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>	<auto></auto>
	i					

Pt. IV		Detai	ls of tax paid a	s declared in returns	filed during	g the finance	cial year		
9	Descrip	otion	Tax Payable	Paid through cash		Paid t	hrough ITC		
					Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1		2	3	4	5	6	7	
	Integrated T	ax							
	Central Tax								
	State/UT Ta	X							
	Cess								
	Interest								
	Late fee								
	Penalty								
	Other								
Pt. V	Particulars of	or upto	date of filing o	previous FY declared f annual return of pr					
	Description			Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1			2	3	4	5	6	
10	Supplies / tax declared through Amendments (+) (net of debit notes)								
11	Supplies / ta Amendment		hrough f credit notes)						
12	Reversal of previous fina		d during						
13	ITC availed financial year		vious						
14		D	ifferential tax p	aid on account of de	claration in	10 & 11 a	bove		
			Description		Pay	able	Paid		
			1			2	3		
	Integrated T	ax							
	Central Tax								
	State/UT Ta	X							
	Cess								
	Interest								
Pt. VI				Other Informat	tion				
15			Par	ticulars of Demands	and Refund	ds			
	Details	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others	
	1	2	3	4	5				
A	Total Refund claimed								

В	Total Refund sanctioned							
С	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
Е	Total demand of taxes							
F	Total taxes paid in respect of E above							
G	Total demands pending out of E above							
16	Information on supplies received from composition taxpayers, deemed supply under section 143 and goods sent on approval basis							
	Details			Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
		1		2	3	4	5	6
A	Supplies rectaxpayers	eived from	Composition					
В	Deemed sup	ply under	Section 143					
С	Goods sent returned	on approval	basis but not					
17			HSN	Wise Summary of ou	ıtward supp	olies		
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18			цем	Wise Summary of In	award supp	lies		
HSN	UQC	Total	Taxable	Rate of Tax	Central	State	Integrated	
Code	ÜÇC	Quantity	Value	Rate of Tax	Tax	Tax / UT Tax	Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9

19	Late fee payable and paid							
	Description	Payable	Paid					
	1	2	3					
A	Central Tax							
В	State Tax							

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place Date Signature Name of Authorised Signatory Designation / Status

Instructions: -

1. Terms used:

a. GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number

b. UQC: Unit Quantity Code

c. HSN: Harmonized System of Nomenclature Code

- 2. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.
- 3. Part II consists of the details of all outward supplies and advances received during the financial year for which the annual return is filed. The details filled in Part II is a consolidation of all the supplies declared by the taxpayer in the returns filed during the financial year. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
4A	Aggregate value of supplies made to consumers and unregistered persons on which tax has been paid shall be declared here. These will include details of supplies made through E-Commerce operators and are to be declared as net of credit notes or debit notes issued in this regard. Table 5, Table 7 along with respective amendments in Table 9 and Table 10 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4B	Aggregate value of supplies made to registered persons (including supplies made to UINs) on which tax has been paid shall be declared here. These will include supplies made through E-Commerce operators but shall not include supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4A and Table 4C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4C	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4D	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
4E	Aggregate value of supplies in the nature of deemed exports on which tax has been paid shall be declared here. Table 6C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4F	Details of all unadjusted advances i.e. advance has been received and tax has been paid but invoice has not been issued in the current year shall be declared here. Table 11A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4G	Aggregate value of all inward supplies (including advances and net of credit and debit notes) on which tax is to be paid by the recipient (i.e.by the person filing the annual return) on reverse charge basis. This shall include supplies received from registered persons, unregistered persons on which tax is levied on reverse charge basis. This shall also include aggregate value of all import of services. Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.

Table No.	Instructions
4I	Aggregate value of credit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4J	Aggregate value of debit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4K and 4L	Details of amendments made to B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E), credit notes (4I), debit notes (4J) and refund vouchers shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5A	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5B	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
5C	Aggregate value of supplies made to registered persons on which tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5D,5E and 5F	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here. Table 8 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5H	Aggregate value of credit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
51	Aggregate value of debit notes issued in respect of supplies declared in 5A,5B,5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5J and 5K	Details of amendments made to exports (except supplies to SEZs) and supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5N	Total turnover including the sum of all the supplies (with additional supplies and amendments) on which tax is payable and tax is not payable shall be declared here. This shall also include amount of advances on which tax is paid but invoices have not been issued in the current year. However, this shall not include the aggregate value of inward supplies on which tax is paid by the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on reverse charge basis.

4. Part III consists of the details of all input tax credit availed and reversed in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part III are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Total input tax credit availed in Table 4A of FORM GSTR-3B for the taxpayer would be autopopulated here.
6B	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A) (5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. This shall not include ITC which was availed, reversed and then reclaimed in the ITC ledger. This is to be declared separately under 6(H) below.
6C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from unregistered persons (other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A) (3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.

Table No.	Instructions
6D	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A) (3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6E	Details of input tax credit availed on import of goods including supply of goods received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs and capital goods. Table 4(A) (1) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6F	Details of input tax credit availed on import of services (excluding inward supplies from SEZs) shall be declared here. Table 4(A) (2) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6G	Aggregate value of input tax credit received from input service distributor shall be declared here. Table 4(A) (4) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6Н	Aggregate value of input tax credit availed, reversed and reclaimed under the provisions of the Act shall be declared here.
6J	The difference between the total amount of input tax credit availed through FORM GSTR-3B and input tax credit declared in row B to H shall be declared here. Ideally, this amount should be zero.
6K	Details of transition credit received in the electronic credit ledger on filing of FORM GST TRAN-I including revision of TRAN-I (whether upwards or downwards), if any shall be declared here.
6L	Details of transition credit received in the electronic credit ledger after filing of FORM GST TRAN-II shall be declared here.
6M	Details of ITC availed but not covered in any of heads specified under 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through FORM ITC-01 and FORM ITC-02 in the financial year shall be declared here.
7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required under rule 37, 39, 42 and 43 of the HGST Rules, 2017 shall be declared here. This column should also contain details of any input tax credit reversed under section 17(5) of the HGST Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC reversed through FORM ITC -03 shall be declared in 7H.
8A	The total credit available for inwards supplies (other than imports and inwards supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2017-18 and reflected in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) shall be auto-populated in this table. This would be the aggregate of all the input tax credit that has been declared by the corresponding suppliers in their FORM GSTR-I.
8B	The input tax credit as declared in Table 6B and 6H shall be auto-populated here.
8C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during July 2017 to March 2018 but credit on which was availed between April to September 2018 shall be declared here. Table 4(A) (5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
8E & 8F	Aggregate value of the input tax credit which was available in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) but not availed in any of the FORM GSTR-3B returns shall be declared here. The credit shall be classified as credit which was available and not availed or the credit was not availed as the same was ineligible. The sum total of both the rows should be equal to difference in 8D.
8G	Aggregate value of IGST paid at the time of imports (including imports from SEZs) during the financial year shall be declared here.
8H	The input tax credit as declared in Table 6E shall be auto-populated here.
8K	The total input tax credit which shall lapse for the current financial year shall be computed in this row.

^{5.} Part IV is the actual tax paid during the financial year. Payment of tax under Table 6.1 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.

6. Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but declared in the returns of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
10 and 11	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the
	previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C
	of FORM GSTR-1 of April to September of the current financial year or date of filing of Annual
	Return for the previous financial year, whichever is earlier shall be declared here.
12	Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in
	returns filed for the months of April to September of the current financial year or date of filing of
	Annual Return for previous financial year, whichever is earlier shall be declared here. Table 4(B)
	of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
13	Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same
	was availed in returns filed for the months of April to September of the current financial year or
	date of filing of Annual Return for the previous financial year whichever is earlier shall be declared
	here. Table 4 (A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.

7. Part VI consists of details of other information. The instructions to fill Part VI are as follows:

Table No.	Instructions
15A, 15B, 15C and 15D	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund pending will be the aggregate amount in all refund application for which acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F and 15G	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the demand has been issued by the adjudicating authority shall be declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed demand as declared in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of supplies received from composition taxpayers shall be declared here. Table 5 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all deemed supplies from the principal to the job-worker in terms of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 143 of the HGST Act shall be declared here.
16C	Aggregate value of all deemed supplies for goods which were sent on approval basis but were not returned to the principal supplier within one eighty days of such supply shall be declared here.
17 and 18	Summary of supplies effected and received against a particular HSN code to be reported only in this table. It will be optional for taxpayers having annual turnover upto ₹ 1.50 Cr. It will be mandatory to report HSN code at two digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ₹ 1.50 Cr. but upto ₹ 5.00 Cr. and at four digits level for taxpayers having annual turnover above ₹ 5.00 Cr. UQC details to be furnished only for supply of goods. Quantity is to be reported net of returns. Table 12 of FORM GSTR-1 may be used for filling up details in Table 17.
19	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.

FORM GSTR-9A (See rule 80) Annual Return (For Composition Taxpayer)				
Pt. I		Basic Details		
1	Financial Year			
2	GSTIN			
3A	Legal Name	<auto></auto>		
3B	Trade Name (if any)	<auto></auto>		
4	Period of composition sci (From To)	heme during the year		

5	Aggregate Turnover of Previous Financial Year						
	(Amount in ₹ in all tables)						
Pt. II	Details of outward and inward supplies declared in returns filed during the financial year						
	Description Turnove		Rate of Tax	Central Tax	State / UT Tax	Integrated tax	Cess
	1	2	3	4	5	6	7
6	Details of Outward supp	lies on which t	ax is payable	as declared	in returns filed	during the fina	ancial year
A	Taxable						
В	Exempted, Nil-rated						
C	Total						
7	Details of inward supp		ax is payable returns filed o			et of debit/cred	it notes)
	Description	Taxable Value	Central	Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3		4	5	6
A	Inward supplies liable to reverse charge received from registered persons						
В	Inward supplies liable to reverse charge received from unregistered persons						
С	Import of services						
D	Net Tax Payable on (A), (B) and (C) above						
8	Details of other	er inward suppl	ies as declared	d in returns	filed during the	e financial year	-
A	Inward supplies from registered persons (other than 7A above)						
В	Import of Goods						
Pt. III	Details	of tax paid as o	declared in ret	urns filed d	luring the financ	cial year	
9	Description		Total tax p	ax payable Paid		id	
	1		2		3		
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						
	Cess						
	Interest						
	Late fee						
	Penalty						
Pt. IV	Particulars of the transact or upto d				turns of April to FY whichever		current FY
	Description		Turnover	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1		2	3	4	5	6

10	Supplies / tax (outward) declared through Amendments (+) (net of debit notes)							
11	charge declare	Inward supplies liable to reverse charge declared through Amendments (+) (net of debit notes)						
12	Supplies / tax through Amendments							
13	Inward supplicharge reduce Amendments	d through						
14		Differentia	l tax paid on ac	count of decl	aration ma	de in 10, 11, 12	& 13 above	•
			ription			ayable	ı	nid
			1			2	í	3
	Integrated Tax	ζ						
	Central Tax							
	State/UT Tax							
	Cess							
	Interest							
Pt. V				Other Info	ormation			
15			Partio	culars of Dem		efunds		
	Description	Central	State Tax /	Integrated	Cess	Interest	Penalty	Late Fee /
	•	Tax	UT Tax	Tax				Others
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Total Refund claimed							
В	Total Refund sanctioned							
С	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
Е	Total demand of taxes							
F	Total taxes paid in respect of E above							
G	Total demands pending out of E above							

16	Details of credit reversed or availed				
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5
A	Credit reversed on opting in the composition scheme (-)				
В	Credit availed on opting out of the composition scheme (+)				
17	Late fee paya	ble and pai	d		
	Description	P	ayable	Pai	d
	1		2	3	
A	Central Tax		·		·
В	State Tax				

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place Signature
Name of Authorised Signatory
Date Designation / Status

Instructions: -

- 1. The details for the period between July 2017 to March 2018 shall be provided in this return.
- 2. Part I consists of basic details of taxpayer. The instructions to fill Part I are as follows:

Table No.	Instructions
5	Aggregate turnover for the previous financial year is the turnover of the financial year previous to
	the year for which the return is being filed. For example for the annual return for FY 2017-18, the
	aggregate turnover of FY 2016-17 shall be entered into this table. It is the sum total of turnover of
	all taxpayers registered on the same PAN.

3. Part II consists of the details of all outward and inward supplies in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Aggregate value of all outward supplies net of debit notes / credit notes, net of advances and net of
	goods returned for the entire financial year shall be declared here. Table 6 and Table 7 of FORM
	GSTR-4 may be used for filling up these details.
6B	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here.
7A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on which tax is payable on
	reverse charge basis shall be declared here. Table 4B, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4
	may be used for filling up these details.
7B	Aggregate value of all inward supplies received from unregistered persons (other than import of
	services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table 4C, Table 5
	and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
7C	Aggregate value of all services imported during the financial year shall be declared here. Table 4D
	and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on which tax is payable by
	the supplier shall be declared here. Table 4A and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for
	filling up these details.
8B	Aggregate value of all goods imported during the financial year shall be declared here.

4. Part IV consists of the details of amendments made for the supplies of the previous financial year in the returns of April to September of the current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
10,11,12,13 and 14	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 5 (relating to inward supplies) or Table 7 (relating to outward supplies) of FORM GSTR- 4 of April to September of the current financial year or upto the date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier shall be declared here.

5. Part V consists of details of other information. The instruction to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
15A, 15B, 15C and 15D	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund pending will be the aggregate amount in all refund application for which acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F and 15G	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the demand has been issued by the adjudicating authority has been issued shall be declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed demand in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of all credit reversed when a person opts to pay tax under the composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM ITC-03 may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of the composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM ITC-01 may be used for filling up these details.
17	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.";

11. In the said rules, in **FORM GST EWB-01**, in the Notes, in serial number 7, in the Table, against Code 4 in the first column, for the letters and word "SKD or CKD" in the second column, the letters and words "SKD or CKD or supply in batches or lots" shall be substituted.

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.